न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना,आई.ए.एस.

अपील संख्या : 6/2014 आर्म्स एक्ट

अनवानी :– श्रीरामजस पुत्र अमरुराम जाति बिश्नोई निवासी नोखा, जिला बीकानेर

———— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ।

———— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री चतुर्भज शर्मा — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 21–8–2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 24.8.2012 जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 634/1987 के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्री श्रीरामजस पुत्र अमरुराम जाति बिश्नोई निवासी नोखा, जिला बीकानेर के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 634/87 जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट,(दक्षिण) बीकानेर द्वारा जारीशुदा है, जिस पर शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं. ए/4 6015 दर्ज है, जो दिनांक 30.6.12 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलांट ने दिनांक 29.6.2012 को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 378 दिनांक 17.7.12 में अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरुध्द पुलिस थाना, नोखा में मुकदमा सं. 104/1990 अन्तर्गत धारा 323, 341, 326 आईपीसी में दर्ज होकर चालान पेश हुआ एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 12.3.93 को बरी फरमाया गया एवम अभियोग सं0 63/93 अन्तर्गत धारा 341,323,427 आईपीसीमें दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश होकर जरिये राजीनामा दिनांक 23.3.95 को फैसला हो चुका है । परन्तु आवेदक के विरुध्द दर्ज अभियोगों के सम्बन्ध आवेदक द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र में उक्त अभियोगों का कोई

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उल्लेख नहीं किया गया है । उपरोक्त कारण से जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गयी । जिला पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट के आधार जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.12 पारित कर अपीलार्थी रामजस का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर थानाधिकारी नोखा को शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिये । जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 2.4.2014 को प्रस्तुत की गई है।

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु पर बहस सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकी अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं अपीलार्थी स्वयम् अनुपस्थित रहे हैं। अतः राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोग की बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी रामजस द्वारा अपील में मुख्य रुप से यह आधार लिया है कि अपीलार्थी के विरुध्द दर्ज अभियोग सं0 104/90 में दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश हुआ तथा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग नोखा द्वारा फैसला दिनांक 12.3.93 को बरी फरमाया गया है एवम् अभियोग सं0 63/93 दर्ज होकर चालान पेश हुआ, जिसमें माननीय न्यायालाय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग नोखा द्वारा दिनांक 23.2.95 को जरिये राजीनामा बरी फरमाया गया है । इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी को सजायाब नहीं किया गया है । वर्तमान में अपीलार्थी के विरुध्द कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है । अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अपील में बताया है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.7.14 के विरूद्व अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश की जानकारी दिनांक 19.2.14 को होने पर दिनांक 28.2.14 को नकल प्राप्त कर निर्धारित मियाद अवधि में यह अपील प्रस्तुत की गयी है । अतः अपील मियाद शुमार जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.12 निरस्त फरमाया जावे।

5. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 378 दिनांक 17.7.12 में अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरुध्द पुलिस थाना, नोखा में मुकदमा सं. 104/1990 अन्तर्गत धारा 323, 341, 326 आईपीसी में दर्ज होकर चालान पेश हुआ एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 12.3.93 को बरी फरमाया गया एवम अभियोग सं0 63/93 अन्तर्गत धारा 341,323,427 आईपीसीमें दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश होकर जरिये राजीनामा दिनांक 23.3.95 को फैसला हुआ है । परन्तु आवेदक के विरुध्द दर्ज अभियोगों के सम्बन्ध आवेदक द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त अभियोगों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है । इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रट, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.12 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील 2.4.14 को 585 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है । जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अतः अपील अपीलार्थी मियाद बिन्दु एवं मैरिट पर निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने राज्य पक्ष के विद्वान सहायक लोक अभियोजक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा जिला मज़िस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 24.8.12 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 2.4.2014 को 585 दिवस की देरी से प्रस्तुत की गयी है । उक्त देरी के सम्बन्ध में अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 19.2.14 को होने पर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 28.2.14 को नकल प्राप्त होने पर निर्धारित मियाद अवधि में अपील प्रस्तुत की गयी है । नियमानुसार अपील दाखिल करने की परिसीमा तब प्ररम्भ होती है, जब शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण निरस्त होने का सूचना अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की जाती है । प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.12 पारित कर प्रार्थी अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की सूचना पत्र पृष्ठांकन क्रमांक सीबी/न्याय/2012/5761 दिनांक 24.8.12 द्वारा जरिये डाक प्रेषित की गयी है। प्रकरण अनुसार शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने हेतु एक माह की समयावधि निर्धारित की हुई है, जबकि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील 585 दिवस देरी से प्रस्तुत की गयी है । जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा अपीलान्ट के निवास पते पर दिनांक 24.8.2012 को ही अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपि जरिये डाक भिजवाई जानी पाई जाती है । इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.12 के विरुध्द इस न्यायालय में दिनांक 2.4.2014 को यह अपील 585 दिन देरी से प्रस्तुत की गयी है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। मियाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा धारा–5 के प्रार्थना पत्र में जो कारण दर्शाया गया गया है, वह सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रार्थना पत्र में प्रतिदिन देरी का कारण नहीं दर्शाया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की यह अपील मियाद में शुमार नहीं की जा सकती है एवम् अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र. नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 29.6.12 के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अपालार्थी के विरुध्द पूर्व में दर्ज हुए अभियोगों का

उल्लेख पुलिस रिपोर्ट अनुसार शपथ पत्र में नहीं किया जाकर तथ्यों को छुपाया जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.12 पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । उपरोक्त विवेचना के अनुसार अपील अपीलान्ट न केवल मियाद बिन्दु अपितु गुणावगुण पर भी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.12 यथावत रखा जाता है।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे । निर्णय आज दिनांक 21.8.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर